# अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225 रामकिशोर यादव v/s सुनील कुमार

| हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|
| 2023/314<br>श्री दुर्गा सांखला PS. श्री M. S राजावत | |

4/6/25 पत्रावली पेश की गई। वकीलान उप०। पत्रावली वास्ते पूर्व जारी नोटिस लौटकर नहीं आने से अभिभाषक अपी. पुन शेष रेस्पो के नोटिस पेश करें। पत्रावली वास्ते तामील नोटिस रेस्पो से 2 से 22 दिनांक 3/7/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित। राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 4/9/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

4/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित। राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 17/10/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 24/10/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/10/25 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गईं, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली मुन्तजिम हुक्म दाखिल दफ्तर से कर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

26.10.23

1029 पूर्व सांखला AD ने अपील पत्र की जांच आज्ञा रिपोर्ट हेतु पत्र है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 17/10/23

## समक्ष श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजस्व अपील संo ........314....... / 2023 2023/314

श्री रामकिशोर यादव पुत्र श्री हेमराज यादव, निवासी यादव मौहल्ला, ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट / अप्रार्थी

बनाम्

1. सुनील कुमार टेलर पुत्र श्री कैलाशचंद टेलर, जाति दर्जी, निवासी 14, अनुपम नगर, सोफिया स्कूल के पास, अजमेर।

प्रार्थी / प्रत्यर्थी

314/2023
17/10/23

2. धनराज पुत्र घनश्याम, जाति अहीर, निवासी जगपुरा, नसीराबाद
3. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र घनश्याम, जाति अहीर, निवासी मोतीपुरा, नसीराबाद, जिला अजमेर।
4. कैलाश
5. रामनिवास
6. रामजीलाल पिता हेमराज समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद, जिला अजमेर।
7. महावीर पुत्र रामसिंह पुत्र हेमराज
8. भंवरी पत्नी रामसिंह पुत्र हेमराज
9. मनीषा
10. विजयलक्ष्मी
11. पूनम
12. अमिता पिता रामसिंह पुत्र हेमराज, समस्त जाति यादव, निवासी म0न0 363/33, पाल बिचला, लोक़ोशेड के पीछे, अजमेर, मो0न0 9785755007
13. आकाश
14. गणेश
15. पुष्पा
16. मधु
17. राकेश
18. श्रीराम
19. सुरेश पिता रामेश्वर निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद, जिला अजमेर।
20. सुशीला पुत्री हेमराज

CR 19/10/23

रामकिशोर

Scanned with CamScanner

21. शान्ति पत्नी हेमराज

22. मैनेजर बैंक ऑफ बडोदा, शाखा नसीराबाद, जिला अजमेर

23. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

प्रत्यर्थीगण / अप्रार्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 225 R.T.Act 1955 बविरूद्ध आदेश दिंनाक 12.07.23 जो न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र सं0 04/2023, अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0 एक्ट बउनवान् "सुनील कुमार बनाम् धनराज व अन्य " मे प्रार्थी सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए पारित किया गया।**

माननीय मण्डल के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है–

1. यह कि प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि –

अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद) मे प्रार्थी सं0 1 सुनील कुमार टेलर ने प्रार्थनापत्र धारा 251 ए राज0का0अधि0 विरूद्ध अपीलांट व प्रत्यर्थीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम जगपुरा, पटवार हल्का चाट, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के खाता सं0 167/107, खसरा सं0 11 रकबा 0.10 व खसरा सं0 5 रकबा 0.98 किता 2 कुल रकबा 1.08 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस पर आने जाने हेतु प्रार्थी मुख्य मार्ग से खसरा सं0 27 के बाद खसरा सं0 13 रकबा 0.27 के कोने से अपनी उक्त आराजी मे आवागमन करते है। खसरा सं0 13 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त खसरे के रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिए अन्य कोई मार्गाधिकार उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की उक्त आराजी मे से 30 फुट चौडे रास्ते को रास्ते हेतु प्राप्त करने के लिए उक्त प्रार्थनापत्र पेश जाकर रास्ता दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

2. यह कि उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज कर अपीलांट व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। जिस पर अपीलांट द्वारा बाद हाजिरी न्यायालय प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **प्रार्थी सुनील कुमार के प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाते हुए दिंनाक 12.07.23 को उसके पक्ष मे अपीलांट की वर्णित आराजी मे से 30 फुट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश पारित कर दिए गए। जिससे व्यथित होकर माननीय महोदय के समक्ष उक्त अपील निम्न ठोस आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है** –

रामकिशोर

Scanned with CamScanner